

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

मेंदलाल

बनाम जाहर सिंह

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 102/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19-3-25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>मेंदलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>जेठमल बोची</u></p> <p>निवासी <u>दोसगुडा (चित्तौड़गढ़)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>पावरिया</u> <u>प.ह. जमोर (चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>200, 201, 202, 203, 204, 215, 235</u></p> <p>कुल कीता <u>7</u> कुल रकबा <u>2.5500</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी वी आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पावरिया (जमोर)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>200, 201, 202, 203, 204, 215, 235</u></p> <p>कुल कीता <u>7</u> रकबा <u>2.5500</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>रकूदजार रूपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्मित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>


 (ज. डी. वर्मा)
 महाश्व कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)